न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–175/2015

–:: अनवान ::–

1.काशीराम पुत्र सुरजनाराम जाति जाट सा.भोजेवाला तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1.तहसीलदार सूरतगढ़

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.12.2019

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को तहसील सूरतगढ़ में रोही भोजेवाला के खसरा सं0 9 में 20.00 बीघा भूमि तत्कालीन तहसीलदार वर्ष 1983 में एक साला आराजी काश्त पर आवंटन कर मौका पर कब्जा दिया था। जहां कब्जा दिया गया था वहां पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। टी0सी0 आवंटन पट्टा का लगातार नवीनीकरण होता रहा व जब तक बारानी भूमियों की रकम कायम होती थी, प्रार्थी रकम भी राज्य सरकार को जमा कराता रहा है। चकबन्दी बनने पर प्रार्थी जिस भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा था, उसे बताया गया कि वह खसरा अन्य दुसरा खसरा है। चकबंदी होने पर प्रार्थी के कब्जा में चक 2 केएसपीएम का प0नं0 30/64(18) कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 17 ता 24 कुल 18.00 बीघा रकबा है, उक्त रकबा पर प्रार्थी का पिछले 32 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। चकबंदी करते समय यह रकबा प्रार्थी के नाम से दर्ज करके रकबा में दर्ज कर दिया गया जो गैरकानूनी ह। प्रार्थी उक्त रकबा को अपने नाम से फिटिंग करवाने का अधिकारी है। यह रकबा प्रार्थी के परिवार के जीवरयापन का एकमात्र आधार है। श्रीमान आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा दिनांक 28.10.1978 को जारी परिपत्र अनुसार "जहां काश्तकार अपनी पुरानी धारण की भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे है। किन्तु मौका पर मिलान अभिलेख से नही होता तो वहां अभिलेख में मौके के अनुसार संशोधन की सहायक उपनिवेशन आयुक्त के माध्यम से की जानी चाहिए (जिन्हे भू0अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त है) इसके अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.11.1981 अनुसार "जिन काश्तकारों की एक खसरे में भूमि का टी0सी0 आवंटन किया जाकर भूमि का कब्जा भी उन्हे दे दिया था, लेकिन भू–अभिलेख में तरमीम नही की गई वह अपनी भूमि पर काबिज न होकर अन्य भूमि पर काबिज हो गये ऐसे आवंटियों को अपनी कब्जा काश्त की उतनी ही भूमि जिसका पूर्व में आवंटन किया गया था, का संशोधन आवंटन आदेश कर रिकार्ड व नक्शों में अमलदरामद किया जावे।"

जैरप्रकरण रकबा राज दर्ज होने से अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल कर सकता है या अन्य किसी को आवंटन किया जा सकता है। इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे जैरप्रकरण रकबा चक 2 केएसपीएम प0नं0 30/64(18) कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 17 ता 24 कुल 18.00 बीघा से वादी के कब्जा काश्त से बेदखल नही किया जावे, रकबा किसी अन्य को आवंटन नही किया जावे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 10.09.2015 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी को बेदखल नही करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 11.09.2018 को जवाब बन्द कर दिया गया। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।

5. हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा की चित्रप्रति अनुसार प्रार्थी को रोही भोजेवाला के खसरा सं0 9 में 20.00 बीघा भूमि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.08.1983 को एक साला आरजी काश्त हेतु आवंटन की गई। उक्त पट्टा नवीनीकरण भी होता रहा हे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परचा खतौनी ग्राम भोजेवाला अनुसार ख0नं0 21/2 से जैर प्रकरण रकबा चक 2 केएसपीएम–ए के प0नं0 30/64(18) कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 17 ता 24 कुल 18.00 बीघा में पैमुद हुआ है। ख0न0 9/3 से प0नं0 30/62 के किला नम्बर पैमुद हुए है। प्रार्थी ने यह साबित नही किया है कि उसे खसरा नं0 9 में आवंटित रकबा ही चक 2 केएसपीएम के प0नं0 30/64(18) कि0नं0 1 ता 4, 8 ता 13, 17 ता 24 कुल 18.00 बीघा रकबा में पैमुद हुआ है। क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत ग्राम भोजेवाला की परचा खतौनी अनुसार वादाधीन रकबा खसरा सं0 21/2 से पैमुद हुआ है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 10.09.2015 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 12:58:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: